

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2011/डी-378

दिनांक: 10/3/2011

कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 107वीं बैठक दिनांक 04.03.2011 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।


क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालना
1.	107.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 106 वीं बैठक दिनांक 31.01.2011 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 106 वीं बैठक दिनांक 31.01.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी एवं क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	107.2	भूखण्ड संख्या 31, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एवं आवेदक के प्रतिनिधि को सुने जाकर प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
3.	107.3	भूखण्ड संख्या डी-70, रेजीडेन्सी रोड, सी-स्कीम, जयपुर के प्रस्तावित रेजीडेन्सी अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एवं श्री राम गोपाल सर्राफ को सुने जाकर निम्न निर्णय लिये गये :- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया	

			जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।
4.	107.4	भूखण्ड संख्या डी.सी.-3, एपेक्स बैंक के पीछे, लाल कोठी व्यवसायिक योजना जयपुर के प्रस्तावित व्यवसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र से भिन्नता होने के कारण आवेदक को पत्र दिनांक 28.12.2010 को सूचित किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 25.01.2011 को पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भवन निर्माण निर्धारित सैटबैक छोड़ते हुए अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार आवश्यक संशोधन करते हुए किया जावेगा। अतः निर्णय लिया गया भवन मानचित्र जारी के पूर्व जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र अनुसार मौके की स्थिति करवायी जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. प्रश्नगत भूखण्ड जविप्रा द्वारा नीलामी के विक्रय किया गया है तथा प्रस्तुत एजेण्डा में अतिरिक्त एफ.ए.आर. की राशि का उल्लेख किया गया है, जो प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं है। अतः अतिरिक्त एफ.ए.आर. का शुल्क नहीं लिये जाकर कार्यवाई की जावे।

			निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।
5.	107.5	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 90-91, गोम्स डिफेन्स कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामने के सैटबैक में कॉलम्स सर्पोटेड परगोला प्रस्तावित किया गया है जो विनियमानुसार अनुज्ञेय नहीं है। अतः प्रस्तावित कॉलम्स को हटवाये जाकर कैंटीलिवर परगोला अनुज्ञेय कर मानचित्र में संशोधन करवाया जावे। 2. वर्षा जल संग्रहण व सौर ऊर्जा उपकरण का प्रावधान करवाया जाना प्रस्तावित है। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
6.	107.6	खसरा नम्बर 830/266, ग्राम महल तहसील सांगानेर जयपुर में ग्रुप हाउसिंग के भवन अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एवं वास्तुविद श्री अशोक मिश्रा को सुने जाकर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भवन मानचित्र अनुमोदन के समय पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु भवन विनियम में कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान में भवन विनियमानुसार सकल आच्छादन क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक प्रस्तावित होने पर पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। वर्तमान में भवन का सकल आच्छादन क्षेत्रफल 21,243.38 वर्गमीटर है। अतः निर्णय लिया गया कि आवेदक से पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 2. भवन मानचित्र अनुमोदन के समय हवाई अड्डे की सीमा से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के

			<p>क्षेत्र में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु भवन विनियम में कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान में भवन विनियमानुसार बहुमंजिली भवनों में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। वर्तमान में भवन 30 मीटर ऊँचाई तक निर्मित किया जा चुका है एवं प्रश्नगत प्रकरण हवाई अड्डे की 2 किलोमीटर परिधिय क्षेत्र से बाहर है, अतः नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>3. मौके पर 9.87 वर्गमीटर क्षेत्र में गार्डरूम निर्मित है।</p> <p>4. मौके पर सामने सैटबैंक में 23.55 वर्गमीटर क्षेत्र डी, जी एवं ट्रांसफोर्मर हेतु प्रस्तावित है, जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए इसे अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>5. निर्मित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः अग्नि सुरक्षा का स्थाई संतुस्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
7.	107.7	<p>खसरा नम्बर 173 से 180, 247 व 249 ग्राम पवालिया तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित संस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <p>1. मौके पर एक मकान 30'X51'-9" में निर्मित है, आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2011 में उल्लेख किया गया है कि अनुमोदित मानचित्र जारी किये जाने से पूर्व निर्मित भवन को हटवा दिया जावेगा, अतः मानचित्र अनुमोदन से पूर्व उक्त निर्माण हटवाया जावे।</p>

			<p>2. मौके पर प्रस्तावित निर्माण हेतु बेसमेंट की खुदाई कर कॉलम्स फुटिंग व कॉलम्स कास्टिंग का कार्य किया जा रहा है एवं वर्तमान में छत नहीं डाली गई है। आवेदक द्वारा पत्रावली 06.01.2011 को प्रस्तुत की गई है एवं मौका निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मौके पर फुटिंग व कॉलम्स का निर्माण कार्य किया जा चुका है जो उक्त अवधि में सम्भव नहीं है, अतः भवन विनियम 2010 के विनियम 13.4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है नियमानुसार बिना अनुमति निर्माण की शास्ति ली जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
8.	107.8	भवन मानचित्र प्रकोष्ठ में लम्बित प्रकरणों के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र प्रकोष्ठ में 2 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आवेदकों को पत्र द्वारा कमियां पूर्ण किये जाने हेतु कई बार सूचित किया गया है एवं तत्पश्चात् स्मरण पत्र भी जारी किये गये हैं लेकिन अभी तक इन प्रकरणों में आवेदक के स्तर से कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है अतः प्रश्नगत दोनों प्रकरणों को निरस्त करते हुए दफ्तर दाखिल किया जावे।</p>	
<p>आयुक्त महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।</p>				
9.	107.9	<p>भूखण्ड संख्या 2/जी. एच-3, सेक्टर 2 विधाधर नगर, जयपुर में केन्द्रीय कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये प्रस्तावित परिसर में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <p>1. संस्था को भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु आवंटित किया गया था, संस्था द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में ग्रुप हाउसिंग फ्लेट्स का प्रावधान नहीं किये जाकर केन्द्रीय कर्मचारियों/अधिकारियों के</p>	



			<p>स्थानान्तरण या सरकारी प्रशिक्षण हेतु अस्थाई आवास का प्रस्ताव दिया गया है। संस्था द्वारा पत्र दिनांक 07.01.2011 में उल्लेख किया है यह परिसर रिहायशी परिसर के अनुरूप है, समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार्य किया गया।</p> <p>2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
10.	107.10	<p>खसरा नम्बर 840 से 845 व 857 ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित रेडिमिक्स कंक्रीट प्लान्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <p>1. प्रश्नगत प्रकरण रेडिमिक्स कंक्रीट प्लान्ट का है जिसकी लीजडीड औद्योगिक प्रयोजनार्थ जविप्रा द्वारा जारी की गई है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन हेतु कोई पैरामीटर्स भवन विनियम में प्रावधानित नहीं है, अतः विशेष प्रकृति का भवन मानते हुए एजेण्डा में उल्लेखित पैरामीटर्स अनुज्ञेय किये जावें।</p> <p>2. भवन अनुमोदन शुल्क की गणना व्यावसायिक दर से की गई है, क्योंकि औद्योगिक प्रयोजनार्थ शुल्क बाबत् विनियम में उल्लेख नहीं है, अतः व्यावसायिक दर से ही राशि ली जावे।</p> <p>3. मौके पर भूखण्ड के फ्रन्ट से 11 केवी की इलैक्ट्रिक लाईन गुजर रही है, जिसे आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे से हटवाया जावेगा, इस बाबत् अन्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>

11.	107.11	<p>पुर्नगठित आई, जे.के. ब्लॉक, खसरा नम्बर 87/298, 90, 92 व 129 ग्राम हेमा की नॉंगल तह0 सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित गुप हाऊसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित मानचित्रों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई. जी. के 100 फ्लेट्स प्रस्तावित है जो कुल आवासीय फ्लेट्स 664 का 15.06 प्रतिशत है। कुल आच्छादित क्षेत्रफल 48448.80 वर्गमीटर के एवज में ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 4998.70 वर्गमीटर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है जो नियमानुसार 5 प्रतिशत से अधिक 10.31 प्रतिशत है, जिसे समिति द्वारा अनुज्ञेय किया गया। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. सकल आच्छादित क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक 48,448.80 वर्गमीटर है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 5. स्टिल्ट फ्लोर पर 3 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसकी नियमानुसार व्यावसायिक रूपान्तरण शुल्क लिया जावे। 6. प्लॉटेशन कॉरिडोर से 11 केवी की इलैक्ट्रिक लाईन गुजर रही है जिसे आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च से हटवाया जावेगा इस बाबत अन्डरटेकिंग ली जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
-----	--------	--	---


12.	107.12	<p>खसरा नम्बर 172/88/3, ग्राम बृजलालपुरा, न्यू आतिश मार्केट के पास, गोपालपुरा, जयपुर के व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संशोधित भवन मानचित्रों का परीक्षण पूर्व में लागू भवन विनियम 2000 के प्रावधानुसार किया गया है, क्योंकि पूर्व में अनुमोदन भवन विनियम 2000 के अनुसार किया गया था एवं मौके पर सरचनात्मक निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 2. संशोधित मानचित्रों में भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. पूर्व में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था एवं भवन का सरचनात्मक निर्माण भूतल+सातवे तल तक मौके पर किया जा चुका है, वर्तमान में भवन 30 मीटर ऊँचाई तक निर्मित किया जा चुका है एवं प्रश्नगत प्रकरण हवाई अड्डे की 2 किलोमीटर परिधि क्षेत्र से बाहर है, अतः नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
13.	107.13	<p>खसरा नम्बर 1206, 1210, 1211 व 1213/1, ग्राम रेनवाल तहसील फागी, जयपुर के प्रस्तावित सांस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एवं आवेदक श्री अनिल कुमार गर्ग को सुने जाकर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित खुले क्षेत्र से 11 केवी की एक इलैक्ट्रिक लाईन गुजर रही है जिसके लिए यह अन्डरटेकिंग ली जानी उपयुक्त होगी कि यह इलैक्ट्रिक लाईन आवेदक द्वारा स्वयं के 	

			<p>खर्च से हटवायी जावे। अतः इस बाबत अन्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
14.	107.14	<p>खसरा नम्बर 214, 215/3, 216/3 व 227/1 ग्राम चिमनपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2011 में उनके प्रकरण में समग्र प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाकर 15.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी किये जाने, एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शेष ऊँचाई के मानचित्र जारी किये जाने का निवेदन किया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया है। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
15.	107.15	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या आर-10-49, आर-10-50 व आर-10-51, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को

		आवासीय प्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।
16.	107.16	भूखण्ड संख्या ए-2/2 तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एवं आवेदक के प्रतिनिधि को सुने जाकर निम्न निर्णय लिये गये :- 1. प्रश्नगत भूखण्ड, भूखण्ड संख्या ए-2 का उपविभाजित भाग है जिसके भवन मानचित्र पूर्व में भूखण्ड के वर्तमान क्षेत्रफल में नगर विकास न्याय द्वारा दिनांक 26.05.1975 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। उपविभाजन का प्लान आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जोन की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि बाबत् सब-डिविजन की सूचना जोन में उपलब्ध नहीं है, अतः पूर्व में नगर विकास न्यास द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार कार्यवाही की जावे। 2. मौके पर एक पुराना भवन व गैरेज निर्मित है जिसे प्रस्तावित निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व हटवाया जाना होगा, इस बाबत् अन्डरटेकिंग ली जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।
16.	107.16	भूखण्ड संख्या-44, रामनाथपुरी झोटवाडा जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :- 1. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्रों में स्टिल्ट फ्लोर का प्रस्ताव दिया गया तथा प्रत्येक फ्लोर में एक आवासीय यूनिट का

			<p>प्रावधान किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड में फ्लेट्स का निर्माण नहीं हो उस को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि आवेदक से यह अन्डरटेकिंग ली जावे कि प्रस्तावित भवन का निर्माण उनके स्वयं के उपयोग में लिया जावेगा एवं फ्लेट्स का निर्माण नहीं किया जावेगा। जिसके संबंध में आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।</p> <p>2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>3. मौके पर फुटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं काल्मस का कार्य चल रहा है अतः बिना अनुमति निर्माण भी शास्ति ली जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
--	--	--	---

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 10/3/11
 सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति (बीपी),
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 107 वीं बैठक दिनांक 04.03.2011 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी :-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री सुधांशु पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती शुचि शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 3. निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 4. श्री शफी एम. कुरैशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 5. श्रीमति दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 6. श्रीमति लवंग शर्मा, अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

7. श्रीमति मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमति उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।



10/3/11
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2011/डी-378

दिनांक : 10/3/2011

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन - , जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


10/3/11
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।